



माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

website-msuniversity.ac.in

E-mail id- ar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 770 / प्रशा० / MSU / 2026-27

दिनांक : 05/10/2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,

सहारनपुर।

विषय:- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-25241/2026 In Re Compliance With The Directions Issued By The Supreme Court In Suo-Moto Writ Petition Civil No. 5 Of 2025 Versus State Of U.P Through Secretary (Home) U.P At Lucknow" में पारित भादेश दिनांक 14.08.2026 के अनुपालन में सचिव, नगर विकास अनुभाग-8, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय नोडल समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 11.09.2026 की कार्यवृत्त दिनांक 16-09-2026 के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया

कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उ०शि०), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागाज के पत्र संख्या: डिग्री विकास 1643-45/2026-27 दिनांक: 18.09.2026 के साथ संलग्न कार्यवृत्त (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, कि प्रदेश के समस्त शिक्षण संस्थानों, सरकारी संस्थानों/आवासीय भवनों के परिसरों में ऐसे जालीदार गेट लगे हों, जिनमें से स्ट्रे डॉग्स परिसर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, स्ट्रे डॉग्स से सुरक्षित करने हेतु बाउंड्रीवाल के साथ ऐसे गेट पर लोहे की महीन जाली लगा कर परिसर को स्ट्रे डॉग्स से सुरक्षित किया जाये। जिससे निराश्रित श्वान परिसर के अंदर प्रवेश न कर सके। श्वानों के प्रजनन को नियंत्रित करने हेतु उनके बंध्याकरण एवं टीकाकरण हेतु पशुपालन विभाग के अस्पतालों का सहयोग लिया जाये के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

उक्त के आलोक में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या: डिग्री विकास 1643-45/2026-27 दिनांक: 18.09.2026 के साथ संलग्न कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों के अनुरूप अपने महाविद्यालयों/संस्थानों में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोपरि

05.10.26
सहा० कुलसचिव
(प्रशासन)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
03. शिक्षा निदेशक (उ०शि०), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागाज।
04. कुलसचिव।
05. वित्त अधिकारी।
06. उपकुलसचिव।
07. शैक्षणिक समन्वयक।
08. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सहारनपुर, को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय परिसर में प्रजनन बंध्याकरण/टीकाकरण कराने का कष्ट करें।
09. विश्वविद्यालय अभियन्ता सिविल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश से सम्बन्धित कार्यवाही विश्वविद्यालय परिसर में कराना सुनिश्चित करें।
10. गार्ड फाईल।

सहा० कुलसचिव
(प्रशासन)

3398/61
19/9/26

SHRUP DVAH / ISC / 75 / 2075 DVRS DHEUP

17/9/2026

१ - वेतन

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1. सचिव लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश।
2. सचिव कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक - डिग्री विकास 1643

/2026 - 27

दिनांक - 18/09/2026

विषय - शा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-25241/2026 In Re Compliance With The Directions Issued By The Supreme Court In Suo-Moto Writ Petition Civil No. 5 Of 2025 Versus State Of U.P Through Secretary (Home) U.P At Lucknow" में पारित आदेश दिनांक 14.08.2026 के अनुपालन में सचिव, नगर विकास अनुभाग-8, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय नोडल समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 11.09.2026 की कार्यवृत्त दिनांक 16-09-2026 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1/1469/13/2026 सतर - 3 - 2026 - 2006547 दिनांक 18.09.2026 के साथ संलग्न अनु सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-2020/ नौ-8-2026-1ज/2026-1992903, दिनांक 16.06.2026 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए आप सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि कृपया प्रश्रुत कार्यवृत्त में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by
GYAN PRAKASH VERMA
Date: 18-09-2026

17/09/2026 (गान प्रकाश वर्मा)

संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०),

कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०),

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या - डिग्री विकास/ 1643-45 (उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग - 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से निजी विश्वविद्यालयों को पत्र प्रेषित कर अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
AJIT KUMAR SINGH
Date: 18-09-2026
17:31:50

डॉ० (अजीत कुमार सिंह)

सहायक शिक्षा निदेशक (उ०शि०),

कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०),

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

मॉ शाकम्भरी वि० वि० सहारनपुर
श्री AR (Admin) को
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Date 19 Month 09 Year

26

कुल सचिव

19-9-26
Dishal

AR/1754
ymf (y25-)/ J.E. (civil)
ll. Circulate
22/9/26

महत्वपूर्ण

संख्या- 1/1469113/2026 /सत्तर-3-2026- 2006547

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुल सचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 18-09-2026

विषय मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-25241/2026 In Re Compliance With The Directions Issued By The Supreme Court In Suo-Moto Writ Petition Civil No. 5 Of 2025 Versus State Of U.P Through Secretary (Home) U.P At Lucknow" में पारित आदेश दिनांक 14.08.2026 के अनुपालन में सचिव, नगर विकास अनुभाग-8, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय नोडल समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 11.09.2026 की कार्यवृत्त दिनांक 16-09-2026 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनु सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-2020/ नौ-8-2026-1ज/2026-1992903, दिनांक 16.06.2026 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत कार्यवृत्त में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by
(शकील अहमद सिद्दीकी)
Shakil Ahmad Siddiqui
Date: 18-09-2026 14:57:06

सख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद एवं समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र० ।

आज्ञा से,
(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका (सी) संख्या-25241/2026 In Re Compliance With The Directions Issued By The Supreme Court In Suo-Moto Writ Petition Civil No. 5 Of 2025 Versus State Of U.P Through Secretary (Home) U.P At Lucknow" में पारित आदेश दिनांक 14.08.2026 के अनुपालन में सचिव, नगर विकास अनुभाग-8, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय नोडल समिति की दिनांक 11.09.2026, अपराह्न 03:00 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-25241/2026 In Re Compliance With The Directions Issued By The Supreme Court In Suo-Moto Writ Petition Civil No. 5 Of 2025 Versus State Of U.P Through Secretary (Home) U.P At Lucknow" में पारित आदेश दिनांक 14.08.2026 के अनुपालन में सचिव, नगर विकास अनुभाग-8, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय नोडल समिति की बैठक दिनांक 11.09.2026 को सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित विभागों/संस्थाओं के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

क्र०	प्रतिभागी विभाग/पदनाम
1.	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
3.	रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश वेटेनरी काउंसिल।
4.	विशेष सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
5.	विशेष सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
6.	सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, लखनऊ।
7.	अपर परिवहन आयुक्त
8.	संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।
9.	अनुसचिव, परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन।
10.	उप सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
11.	उप निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग।
12.	उप सचिव, पंचायती राज विभाग।
13.	निदेशक, संचारी डीजीएमएच, उ०प्र० लखनऊ।
14.	सलाहकार, संचारी डीजीएमएच, उ०प्र० लखनऊ।
15.	अनुसचिव, मेडिकल शिक्षा, उ०प्र० शासन।
16.	विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ० प्र० शासन।

17.	अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
18.	अधिसासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
19.	प्रधान, प्रबंधक निगम, लखनऊ ।

बैठक में सम्पन्न विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नवत् मत स्थिर किया गया है:-

1. प्रदेश के समस्त शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, क्रीड़ा स्थलों(स्टेडियम), बस स्टेशन परिसर, रेलवे स्टेशन परिसर एवं अन्य समस्त सरकारी संस्थानों/आवासीय भवनों के परिसरों को स्ट्रे डॉग्स से सुरक्षित करने हेतु बाउंड्रीवाल के साथ ऐसे गेट की व्यवस्था की जाये कि जिससे निराश्रित श्वान परिसर के अंदर प्रवेश न कर सके।

(कार्यवाही समस्त संबंधित विभाग)

2. यदि किसी परिसर में ऐसे जालीदार गेट लगे हों, जिनमें से स्ट्रे डॉग्स परिसर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, तो वैसे गेट पर लोहे की महीन जाली लगा कर परिसर को स्ट्रे डॉग्स से सुरक्षित किया जाये।

(कार्यवाही समस्त संबंधित विभाग)

3. विभागों/संस्थानों/प्राधिकरणों द्वारा अपने नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से अपने परिसरों का निरंतर निरीक्षण कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि परिसर में स्ट्रे डॉग्स की उपस्थिति को निषिद्ध किया जा सके।

(कार्यवाही समस्त संबंधित विभाग)

4. ग्रामीण क्षेत्रों में श्वानों के प्रजनन को नियंत्रित करने हेतु उनके बंधाकरण एवं टीकाकरण हेतु पशुपालन विभाग के अस्पतालों का सहयोग लिया जाय।

(कार्यवाही ग्राम्य विकास विभाग/पंचायती राज विभाग)

5. राज्य स्तर पर निराश्रित श्वानों के संबंध में विकसित किये जा रहे पोर्टल पर संबंधित विभाग द्वारा अपने से संबंधित सूचना की अद्यतन स्थिति अंकित की जायेगी तथा पोर्टल पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित निराश्रित श्वानों का अलग-अलग विवरण अंकित किया जायेगा।

(कार्यवाही समस्त संबंधित विभाग)

6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मा० न्यायालय में योजित की जाने वाली सूचना पूर्णतया सत्यापित एवं प्रामाणिक हो।

(कार्यवाही समस्त संबंधित विभाग)

7. मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का समयबद्ध एवं अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही समस्त संबंधित विभाग)

बैठक राधन्यवाद समाप्त हुई।

Digitally signed by
UDAI BHANU TRIPATHI
Date: 16-09-2026 12:46:23

(उदय भानु त्रिपाठी)

विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-8

संख्या-2020/नौ-8-2026-1ज/2026-1992903

लखनऊ: दिनांक: 16 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/पशुधन विभाग/ लोक निर्माण विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/परिवहन विभाग/गृह विभाग/बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा विभाग/ प्राविधिक शिक्षा विभाग/व्यावसायिक शिक्षा विभाग/खेल विभाग/युवा कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- निदेशक, पशुपालन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 5- अपर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उ०प्र०।
- 7- अपर नगर आयुक्त (पशु कल्याण), नगर निगम लखनऊ।
- 8- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
- 9- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरीय निकाय, उ०प्र०।
- 10- गार्ड फाइल।

Digitally signed by
PARAS NATH
Date: 16-09-2026 13:00:09

(पारस नाथ)
अनु सचिव।